प्रेस नोट 07.09.2020

संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध मऊ पुलिस–प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.09.20 को मुख्तार असांरी अवैध वसूली गैंग के सहयोगी, मऊ में चिन्हित वसूली माफिया सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह निवासी भीटी थाना कोतवाली मऊ का अपराध व अवैध रूप से अर्जित धन से बनायी गयी सम्पत्ति 01 करोड़ 69 लाख 65 हजार रूपये (कुल 10 विभिन्न प्रकार के वाहन) थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट जब्त की गयी।

<u>संम्पत्ति विवरण–</u>

1. बस नम्बर यूपी 54 एटी 1999 (23 लाख)।
2 बस यूपी 54 एटी 1990 (23 लाख)।
3 बस यूपी 54 टी 7707 (23 लाख)।
4 बस यूपी 54 टी 5505 (23 लाख)।
5 बस यूपी 54डी 3545 (26 लाख)।
6 ब्रेजा यूपी 54 एडी 5004 (13 लाख)।
7 ड्यूट स्कूटी यूपी 54 वाई 5004 (70 हजार)।
8 बाईक यूपी 54 एजे 5004 (90 हजार)।
9 बुलेट यूपी 54 डब्लू 7004 (2 लाख 05 हजार)।
10 ट्रक यूपी 54 टी 8999 (35 लाख)।

इस तरह 01 करोड़ 69 लाख 65 हजार रुपए कीमती कुल 10 वाहनों को सीज किया गया है।

साथ ही साथ दिनांक 01–09–20 को उक्त सुरेश सिंह की अवैध रूप से अर्जित धन से बनायी गयी सम्पत्ति 86 लाख रूपया (कुल 04 बसें) व दिनांक 03ध्09ध्20 को 01 करोड़ 05 लाख 40 हजार रुपए कीमती 09 वाहनों को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट जब्त की गयी।

इस तरह अब तक कुल 03 करोड़ 60 लाख 95 हजार रुपये कीमती कुल 23 विभिन्न प्रकार के वाहनों को जब्त किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह वसूली गैंग डी–34 का सदस्य है तथा जनपद में वसूली माफिया के रूप में चिन्हित है। जिसके विरूद्ध थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा दिनांक 31.05.20 को मु0अ0सं0 520ध्20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी तथा वर्तमान में जेल में निरूद्ध है।

<u>गैंगेस्टेर एक्ट में वांछित कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार, तमंचा बरामद–</u>

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 07.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 320/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियक्तगण यासीन पुत्र मुनीर निवासी कड़सड़ छतौर थाना जहानागंज आजमगढ़, मो0 उमर पुत्र मो0 खालिद निवासी गालिबपुर थाना रानीपुर व धर्मेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र नट निवासी घुटमा थाना रानीपुर के कब्जे से एक अदद तमंचा बरामद कर गिरफ्तार किया गया, इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 321/20 मु0अ0सं0 3/25 आयुद्ध अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 195/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण जयनरायण सिंह पुत्र स्व0 सालिक सिंह, सुरेश सिंह पुत्र हरिद्वार सिंह, रवी प्रताप सिंह उर्फ रवी पुत्र रमेश सिंह निवासीगण असलपुर थाना चिरैयाकोट, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 564/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त सोनू कुरैशी पुत्र नसीम अहमद निवासी कसाईटोला करीमुद्दीनपुर थाना घोसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी की मोटरसाईकिल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना मधुबन पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.09.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर शहीद इंटर कालेज नंदौर के पास से अभिमन्यु यादव पुत्र स्वामीनाथ निवासी अरियांव थाना मधुबन मऊ व अमरेश यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी जगनपुर थाना मधुबन के कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल पैशन प्रो (यूपी 54 डब्लू 0402) बरामद किया गया जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 353/20 धारा 379 भादवि से सम्बधिंत पाया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर उक्त अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया।

40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 04 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 07.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वेदप्रकाश पुत्र रुपा राम निवासी जहानागंज के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा विश्राम साहनी पुत्र ढोढा निवासी अहिरौली थाना जीयनपुर के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा रामकेसर राजभर पुत्र मुन्ना राजभर निवासी पहदेवाजीत थाना हलधरपुर मऊ के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में क्रमशः थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधि0 अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी की दो बकरियों के साथ 02 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 07.09.20 को देखभाल क्षेत्र के दौरान बकवल तिराहे के पास से फैजान कुरैशी पुत्र महबूब निवासी बहादुरगंज कासिमाबाद जनपद गाजीपुर व मगन पुत्र राम नरायण निवासी बकवल थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से चोरी की दो बकरियों को बरामद कर वादी व आस–पास के लोगों द्वारा थाना स्थानीय पुलिस को सुपुर्द किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 713/20 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक दुराचारी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना मधुबन पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.09.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कटघराशंकर के पास से मु0अ0सं0 487/20 धारा 363,366,376,504,506 भादवि में वांछित अभियुक्त राजाराम चौहान पुत्र चन्द्रशेखर निवासी कविराजपुर थाना मधुबन मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 25 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 07.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना घोसी पुलिस द्वारा संजय, राजेश निवासीगण भेलउर चंगेरी, रमेश, मनोज निवासीगण बरुआ, गुड्डू निवासी काझा खुर्द थाना सरायलखंसी, धर्मेन्द्र निवासी पिढवल, काशीनाथ, सुषमा व मन्ना निवासीगण बड़ागांव थाना घोसी, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा रोजदीन अहमद, हरिकिशुन, सतीश निवासीगण गाढ़ा, रितेश व रामदुलार निवासी छिछोर थाना हलधरपुर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा रवी, राहुल, रामू निवासीगण मुंशीपुरा व गुड्डू निवासी सहादतपुरा थाना कोतवाली, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अशफाक निवासी पठानटोला, इरफान, इरशाद निवासी अलीनगर थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा चंद्रिका, रमाकांत निवासीगण सिसवा थाना मधुबन, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा मीनू देवी निवासी मुरारपुर थाना दोहरीघाट व थाना कोपागंज पुलिस द्वारा अजय निवासी कसारा थाना कोपागंज को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।